न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 781 / 2023
अनवान : –

1. ईलमदीन पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 06/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 219 / 218 की कुल 1.4920 हैक्ट भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम नामदीन पुत्र कासम खां दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम ईलमदीन पुत्र कासमदीन है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की मुताबिक दस्तावेजात वादी का नाम दुरूस्त कर देवे तो प्रतिवादी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि में वादी का नाम नामदीन पुत्र कासम खां दर्ज है जो की सहवन से गलत दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम ईलमदीन पुत्र कासमदीन है जो की वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी मुताबिक दस्तावेजों के अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवापाने की अधिकारी है। वाद वादी डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा तहसील नोहर के खाता स0 219/218 की कुल 1.4920 हैक्ट भूमि वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में वादी ने अपना नाम नामदीन पुत्र कासम खां के स्थान पर ईलमदीन पुत्र कासमदीन दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। वादी द्वारा कथन किया गया है कि वाद भूमि में वादी का नाम नामदीन पुत्र कासम खां सहवन से दर्ज हुआ है लेकिन पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज है एवं वादी के नाम उक्त भूमि कब गेरखातेदारी दर्ज हुई है कब आवंटित हुई तथा आवंटन में वादी का क्या नाम था आदि साक्ष्य वादी द्वारा पेश नही किये गये है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नही है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 781/2023

अनवान : –

1. ईलमदीन पुत्र कासमदीन जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 781 सन 2023 निर्णय दिनांक 06/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादी वाद वादी खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक......06/01/26.......को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.28 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested